

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक- 1114 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक, सितम्बर, 20, 2022
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय- जनपद-सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्ल्यू0ई0) के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीबारी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में सोनभद्र वन प्रभाग में किमी0 0.000 से 40.150 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 18.09हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर में किमी0 40.150 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 0.4293हे0 आरक्षित वनभूमि एवं शून्य वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 18.5193हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपक पत्रांक-733/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/रोड/121267/2021 लखनऊ,
दिनांक-29.08.2022।

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में संदर्भित पत्र दिनांक-29.09.2022 द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र ने अपने कार्यालय के पत्र सं0-426/सोनभद्र/33 दिनांक 12.09.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की अनुपालन आख्या निर्धारित टेबुलर फार्म में निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया है :-

क्र0सं0	आपत्ति / कमियां	अनुपालन आख्या
1	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक-343/11-सी दिनांक-14.08.2020 के क्रम में संलग्न किया गया प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में पत्रांक-343/11-सी दिनांक-14.08.2020 के क्रम में प्रतिहस्ताक्षरित की गयी है।
2	प्रस्ताव में एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता में संशोधित एन0पी0वी0 की दर के सम्बन्ध में भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक-06.01.2022 का उल्लेख नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव के पेज संख्या-123,124 पर भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक-06.01.2022 का उल्लेख कर संलग्न कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना कैमूर वन्य जीव विहार के इको सेन्सिटिव जोन से बाहर होने का उल्लेख है, किन्तु इको सेन्सिटिव जोन का गजट संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव के पेज संख्या-81 से 98 पर इको सेन्सिटिव जोन का गजट संलग्न कर दिया गया है।
4	रोड चौड़ीकरण के प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित को संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव के पेज संख्या-135 पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न कर दिया गया है।

5	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव के पेज संख्या-134 पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न कर दिया गया है।
6	मुख्य वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र एवं संस्तुति भाग-3 में चैनेज सं०-0.00 से 46.045 तक आनलाइन पार्ट-1 में 0.00 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण का उल्लेख है, जो कि भिन्न-भिन्न एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः मुख्य वन संरक्षक के पत्र एवं संस्तुति भाग-3 में सही चैनेज सं० का उल्लेख कर आनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में भाग-3 में चैनेज सं०-0.00 से 46.050 तक संशोधित करते हुए आनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 पर अपलोड कर दिया गया है।
7	प्रस्ताव में संलग्न आनलाइन भाग-1 में गाटा संख्या-710व अंकित है जो कि गलत है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव में संशोधित कर दिया गया है।
8	आनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति अपलोड नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा अवगत कराया है कि आनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति अपलोड कर दिया गया है।
9	परियोजना में कैमूर वन्यजीव प्रभाग भी प्रभावित है। अतः दोनो वन प्रभागों का समेकित प्रस्ताव प्रेषित करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा अवगत कराया है कि दोनो वन प्रभागों का समेकित कर दिया गया है।
10	प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राइव में सभी अभिलेखों की अलग-अलग पी०डी०एफ० फाइल अपलोड की गयी है, जो कि गलत है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की समेकित पी०डी०एफ० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा अवगत कराया है कि संशोधित प्रस्ताव की समेकित पी०डी०एफ० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्तावों के साथ संलग्न कर दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतदसह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(रमेश चन्द्र झा) 20.09.2022
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या- 1114 /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र को उनके कार्यालय पत्रांक-426/सोनभद्र/33 दिनांक 12.09.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

भाग- III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

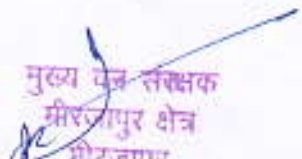
जनपद- सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0 डब्लू0 ई0) के अन्तर्गत भदई अशर से मकरीबारी मार्ग कि0मी0 0.00 से 46.050 तक के चौडिकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 18.09 हे० वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के संबंध में।

(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफ0पी0/यू0पी0/रोड/121267/2021)

14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	नहीं।
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारशें।	प्रश्नगत प्रस्ताव की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक 24-08-2022

स्थान-मीरजापुर

हस्ताक्षर 
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर

नाम

सरकारी मोहर